

F.No. 15-93/1/NMA/HBL-2021
Government of India
Ministry of Culture
National Monuments Authority

PUBLIC NOTICE

It is brought to the notice of public at large that the draft Heritage Bye-Laws of Centrally Protected Monument "Mounds locally known as Penahia Jhar, Kharahua Jhar, Ora Jhar, situated on the road from Balrampur near the ancient remains of Saheth-Maheth (Sravasti) District – Balrampur, Uttar Pradesh" have been prepared by the Authority, as per Section 20(E) of Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958. In terms of Rule 18 (2) of National Monuments Authority (Appointment, Function and Conduct of Business) Rules, 2011, the above proposed Heritage Bye-Laws are uploaded on the following websites for inviting objections or suggestions from the Public:

- i. National Monuments Authority www.nma.gov.in
- ii. Archaeological Survey of India www.asi.nic.in
- iii. Archaeological Survey of India, Lucknow Circle
www.asilucknowcircle.nic.in

2. Any person having any objections or suggestion may send the same in writing to Member Secretary, National Monuments Authority, 24, Tilak Marg, New Delhi- 110001 or mail at the email ID hbl-section@nma.gov.in latest by 9th September, 2021. The person making objections or suggestion should also give his name and address.

3. In terms of Rule 18(3) of National Monuments Authority (Appointment, Function and Conduct of Business) Rules, 2011, the Authority may decide on the objections or suggestions so received before the expiry of the period of 30 days i.e. 9th September, 2021, consultation with Competent Authority and other Stakeholders.


(N.T.Paite)

Director, NMA
11th August, 2021



भारतसरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY



टीलों जिसे स्थानीय रूप से सहेत-महेत (श्रावस्ती) जिला बलरामपुर, उत्तर प्रदेश के प्रचीनअवशेषों के पास बलरामपुर मार्ग में स्थित पेनाहिया झार, खराहुआ झार, ओरा झार के लिये धरोहर उप-विधि

Heritage Bye Laws for Mounds locally known as Penahia Jhar, Kharahua Jhar, Ora Jhar, situated on the road from Balrampur near the ancient remains of Saheth-Maheth (Sravasti) District – Balrampur, Uttar Pradesh:

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

प्राचीन संस्मारक तथा स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, जिसे प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (धरोहर उप-नियम बनाना और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियमावली, 2011 के नियम (22) के साथ पढ़ा जाए, की धारा 20B द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय संरक्षित स्मारक टीलों जिसे स्थानीय रूप में सहेत-महेत (श्रावस्ती) जिला बलरामपुर, उत्तर प्रदेश के प्रचीन अवशेषों के पास बलरामपुर मार्ग में स्थित पेनाहिया झार, खराहुआ झार, ओरा झार के रूप में जाना जाता है, के लिए निम्नलिखित प्रारूप धरोहर उप-विधि, जिन्हें कला एवं संस्कृति संबंधी भारतीय राष्ट्रीय न्यास के साथ परामर्श करके सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार किया गया है, को एतद्वारा, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा-शर्तें और कार्य-निष्पादन), नियमावली, 2011 के नियम 18, के उप-नियम (2) द्वारा यथा-अपेक्षित जनता से आपत्ति और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया जाता है।

आपत्ति या सुझाव, यदि कोई हों, को अधिसूचना के प्रकाशन के तीस दिनों के अंदर सदस्य सचिव, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (संस्कृति मंत्रालय), 24 तिलक मार्ग, नई दिल्ली के पास भेजा जा सकता है अथवा hbl-section@nma.gov.in पर ई-मेल कर सकते हैं।

आपत्तियों या सुझावों पर, जो उक्त प्रारूप उप-विधि के संबंध में किसी व्यक्ति से यथाविनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले प्राप्त हुए हों, पर राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप धरोहर उप-विधि
अध्याय I
प्रारंभिक

1.0 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ:-

- (i) इन उप-विधियों को केन्द्रीय संरक्षित स्मारक, प्राचीन टीलों जिसे स्थानीय रूप से सहेत-महेत (श्रावस्ती) जिला बलरामपुर, उत्तर प्रदेश के प्रचीन अवशेषों के पास बलरामपुर मार्ग में स्थित पेनाहिया झार, खराहुआ झार, ओरा झार के रूप में जाना जाता है, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण उप-विधि, 2021 कही जाएगी।
- (ii) ये संस्मारक के सम्पूर्ण प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र पर लागू होंगी।
- (iii) ये उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगी।

1.1 परिभाषाएं:-

- (1) इन उप-विधियों में, जब तक कि संदर्भमें अन्यथा अपेक्षित न हो:-

- (क) "प्राचीन संस्मारक" का तात्पर्य किसी संरचना, निर्माण या संस्मारक, या कोई स्तूप या स्थान या दफनगाह या कोई गुफा,शैल-मूर्ति, शिला-लेख या एकाश्मक, जो ऐतिहासिक, पुरातत्वीय या कलात्मक अभिरुचि का है और जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, अभिप्रेत है, और इसमें निम्न शामिल हैं-
- किसी प्राचीन स्मारक के अवशेष,
 - किसी प्राचीन स्मारक का स्थल,
 - किसी प्राचीन संस्मारक के स्थल से लगी हुई भूमि का ऐसा प्रभाग, जो ऐसे संस्मारक को बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, और
 - किसी प्राचीन संस्मारक तक पहुंचने और उसके सुविधाजनक निरीक्षण के साधन;
- (ख) "पुरातत्वीय स्थल और अवशेष"से कोई ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसमें ऐतिहासिक या पुरातत्वीय महत्व के ऐसे भग्नावशेष या अवशेष हैं या जिनके होने का युक्तियुक्त रूप से विश्वास किया जाता है, जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, और इनमें निम्न शामिल हैं-
- उस क्षेत्र से लगी हुई भूमि का ऐसा प्रभाग, जो उसे बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, और
 - उस क्षेत्र तक पहुंचने और उसके सुविधाजनक निरीक्षण के साधन,
- (ग) "अधिनियम"का तात्पर्य प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) से है;
- (घ) "पुरातत्व अधिकारी" का तात्पर्य भारत सरकार के पुरातत्व विभाग के किसी ऐसे अधिकारी से है, जो सहायक पुरातत्व अधीक्षक से निम्नतर पद (रैंक) का नहीं हो;
- (ङ) "प्राधिकरण"का तात्पर्य अधिनियम की धारा 20च के अधीन गठित राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण से है;
- (च) "सक्षम प्राधिकारी"का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है, जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के पुरातत्व निदेशक या पुरातत्व आयुक्त के रैंक से नीचे का न हो या समतुल्य रैंक का ऐसा अधिकारी हो, जिसे इस अधिनियम के अधीन कार्यों का निष्पादन हेतु केंद्रीय सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारासक्षम प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो;
- बशर्ते कि केंद्रीय सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा 20ग, 20घ और 20ङ के प्रयोजन के लिए भिन्न-भिन्न सक्षम प्राधिकारियों का विनिर्दिष्ट करे;
- (छ) "निर्माण"का तात्पर्य किसी संरचना या भवन के किसी निर्माण से है, जिसमें या तो लम्बवत रूप से या फिर क्षैतिज रूप से कोई परिवर्धन या विस्तारण शामिल है, किन्तु इसके अंतर्गत किसी विद्यमान संरचना या भवन का कोई पुनःनिर्माण, मरम्मत और नवीकरण या नालियों और जल-निकास सुविधाओं तथा सार्वजनिक शौचालयों, मूत्रालयों और इसी प्रकार की सुविधाओं का निर्माण, अनुरक्षण और सफाई या जनता के लिए जल आपूर्ति की व्यवस्था से

संबंधित सुविधाओं का निर्माण और अनुरक्षण या जनता के लिए विद्युत की आपूर्ति और वितरण के लिए निर्माण या अनुरक्षण, विस्तारण, प्रबंध या जनता के लिए इसी प्रकार की सुविधाओं के लिए प्रावधान नहीं है।

- (ज) "तल क्षेत्र अनुपात (एफएआर)"का तात्पर्य सभी तलों के कुल आवृत्त क्षेत्र का (पीठिका क्षेत्र) भूखंड (प्लॉट) के क्षेत्रफल से भाग करके प्राप्त होने वाले भागफल से है;
तल क्षेत्र अनुपात भूखंड क्षेत्र द्वारा विभाजित सभी तलों का कुल आवृत्त क्षेत्र;
- (झ) "सरकार" से आशय, भारत सरकार से है;
- (ञ) "अनुरक्षण"का तात्पर्य इसके व्याकरणिक परिवर्तनों और सजातीय अभिव्यक्तियों से है, जिसमें संरक्षित स्मारक को बाड़ से घेरना, उसे आच्छादित करना, उसकी मरम्मत करना, उसका पुनरुद्धार करना और उसकी सफाई करना, और कोई ऐसा कार्य करना जो किसी संरक्षित स्मारक के परिरक्षण या उस तक सुविधाजनक पहुंच को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है; शामिल है।
- (ट) "स्वामी"में निम्न शामिल है-
- (i) संयुक्त स्वामी, जिसमें अपनी ओर से तथा अन्य संयुक्त स्वामियों की ओर से प्रबंधन की शक्तियां निहित हों और किसी ऐसे स्वामी के हक-उत्तराधिकारी निहित हों; और
- (ii) प्रबंधन की शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई प्रबंधक या न्यासी और ऐसे किसी प्रबंधक या न्यासी का पद में उत्तराधिकारी;
- (ठ) "परिरक्षण"का तात्पर्य, किसी स्थान की विद्यमान स्थिति को मूलरूप से बनाए रखना और खराब होती स्थिति की गति को रोकने से है;
- (ड) "निषिद्ध क्षेत्र"का तात्पर्य धारा 20क के अधीन निषिद्ध क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट क्षेत्र या घोषित किए गए किसी क्षेत्र से है;
- (ढ) "संरक्षित क्षेत्र"का तात्पर्य किसी ऐसे पुरातत्वीय स्थल और विशेष से है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;
- (ण) "संरक्षित स्मारक"का तात्पर्य किसी ऐसे प्राचीन स्मारक से है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;
- (त) "विनियमित क्षेत्र"का तात्पर्य धारा 20ख के अधीन विनिर्दिष्ट या घोषित किए गए किसी क्षेत्र से है;
- (थ) "पुनःनिर्माण"का तात्पर्य किसी संरचना या भवन का उसकी पूर्व विद्यमान संरचना में ऐसे किसी परिनिर्माण से है, जिसकी समान क्षैतिज और ऊर्ध्वाकार सीमाएं हों;
- (द) "मरम्मत और पुनरुद्धार"का तात्पर्य किसी पूर्व विद्यमान संरचना या भवन के परिवर्तन से है, किन्तु इसमें निर्माण या पुनःनिर्माण शामिल नहीं होंगे।
- (2) इसमें प्रयुक्त एवं परिभाषित नहीं किए गए शब्दों एवं अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा, जैसा कि अधिनियम में निर्धारित है।

अध्याय II

प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (एएमएएसआर)

अधिनियम, 1958 की पृष्ठभूमि

2. अधिनियम की पृष्ठभूमि: धरोहर उप-विधियों का उद्देश्य केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की सभी दिशाओं में 300 मीटर के अंदर भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दखल के बारे में मार्गदर्शन करना है। 300 मीटर के क्षेत्र को दो भागों में बाँटा गया है (i) प्रतिषिद्ध क्षेत्र, यह क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र अथवा संरक्षित स्मारक की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में एक सौ मीटर की दूरी तक फैला है और (ii) विनियमित क्षेत्र, यह क्षेत्र प्रतिषिद्ध क्षेत्र की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में दो सौ मीटर की दूरी तक फैला है।

अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति संरक्षित क्षेत्र और प्रतिषिद्ध क्षेत्र में किसी प्रकार का निर्माण अथवा खनन का कार्य नहीं कर सकता, जबकि ऐसा कोई भवन अथवा संरचना, जो निषिद्ध क्षेत्र में 16 जून, 1992 से पूर्व मौजूद थी अथवा जिसका निर्माण बाद में महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अनुमति से हुआ था, विनियमित क्षेत्र में किसी भवन अथवा संरचना निर्माण, पुनःनिर्माण, मरम्मत अथवा पुनरुद्धार की अनुमति सक्षम प्राधिकारी से लेना अनिवार्य है।

- 2.1 धरोहर उप-विधियों से संबंधित अधिनियम के उपबंध: प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20ड और प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष धरोहर उप-विधियों को तैयार करना और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य नियमावली, 2011 के नियम 22 में केंद्रीय रूप से संरक्षित स्मारकों के लिए उप-विधि बनाना विनिर्दिष्ट है। नियम में धरोहर उप-विधि बनाने के लिए मापदंडों का प्रावधान है। राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा-शर्तें तथा कार्य संचालन) नियमावली, 2011 के नियम 18 में प्राधिकरण द्वारा धरोहर उप-विधियों के अनुमोदन की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट है।

- 2.2 आवेदक के अधिकार और जिम्मेदारियां: प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20ग में निषिद्ध क्षेत्र में मरम्मत और पुररुद्धार के लिए आवेदन का विवरण नीचे दिए गए विवरण के अनुसार विनिर्दिष्ट है:

(क) कोई व्यक्ति, जो किसी ऐसे भवन अथवा संरचना का स्वामी है जो 16 जून, 1992 से पहले निषिद्ध क्षेत्र में मौजूद था अथवा जिसका निर्माण इसके उपरांत महानिदेशक की मंजूरी से हुआ था तथा जो ऐसे भवन अथवा संरचना का किसी प्रकार की मरम्मत अथवा पुनरुद्धार का काम कराना चाहता है, जैसी भी स्थिति हो, तो वह ऐसी मरम्मत और पुनरुद्धार के कार्य को कराने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

(ख) कोई व्यक्ति, जिसके पास किसी विनियमित क्षेत्र में कोई भवन अथवा संरचना अथवा भूमि है और वह ऐसे भवन अथवा संरचना अथवा जमीन पर कोई निर्माण, अथवा पुनःनिर्माण अथवा मरम्मत अथवा पुररुद्धार का कार्य, जैसी भी स्थिति हो, कराना चाहता है, तो निर्माण अथवा पुनःनिर्माण अथवा मरम्मत अथवा पुररुद्धार के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।


(ग) समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने तथा राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा-शर्तों और कार्य-प्रणाली) नियमावली, 2011 के अनुपालन की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

अध्याय III


केंद्रीय संरक्षित स्मारक -टीलों, जिसे स्थानीय रूप से सहेत-महेत (श्रावस्ती) जिला बलरामपुर, उत्तर प्रदेश के प्राचीन अवशेषों के पास बलरामपुर मार्ग में स्थित पेनाहिया झार, खराहुआ झार, ओरा झार के रूप में जाना जाता है, का स्थान एवं अवस्थिति

3.0 स्मारक का स्थान एवं अवस्थिति:-

- ये स्मारक निम्नलिखित स्थानों पर स्थित हैं:
 - पेनाहिया झार: अक्षांश:27°30'08.78" उत्तर, देशान्तर: 82°03'14.43"पूर्व।
 - खराहुआ झार: अक्षांश:27°30'07.14"उत्तर, देशान्तर: 82°03'05.74"पूर्व।
 - ओरा झार:अक्षांश:27°30'00.67"उत्तर, देशान्तर: 82°03'08.02"पूर्व।




चित्र: टीले का गूगल भू-मानचित्र, जिसे स्थानीय रूप से सहेत-महेत, घूघलपुर बलरामपुर, उत्तर प्रदेश के प्राचीन अवशेषों के पास बलरामपुर मार्ग में स्थित पेनाहिया झार के रूप में जाना जाता है।



चित्र: टीले का गूगल भू-मानचित्र, जिसे स्थानीय रूप से सहेत-महेत, घूघलपुर बलरामपुर, उत्तर प्रदेश के प्राचीन अवशेषों के पास बलरामपुर मार्ग में स्थित खराहुआ झार के रूप में जाना जाता है।

- तीन स्मारकों का स्थल आजकल श्रावस्ती नाम के जिले में उपजाऊ गंगा के (गंगेटिक) मैदानी क्षेत्र में स्थित है, जो लखनऊ से 170 किमी. दूर उत्तर-पूर्व में बलरामपुर के पास उत्तर प्रदेश के देवी पतन मण्डल से संबंधित है।
- पहले यह बहराइच जिले का एक भाग था, परन्तु बाद में प्रशासनिक कारणों से इसे विभाजित किया गया था।
- श्रावस्ती को सहेत-महेत के रूप में भी जाना जाता है, जो आस-पास के क्षेत्र में प्राचीन स्तूप और बिहार को दर्शाता है। ओरा झार, पेनाहिया झार और खराहुआ झार वे स्थान हैं, जहां गौतम बुद्ध ने इन प्रसिद्ध मठों में 24 वर्ष बिताए थे।
- ओरा झार जिला एवं तहसील बलरामपुर, उ.प्र. में राप्ती नदी की सहायक नदी, खजुआ के बांगे किनारे पर स्थित है। ओरा झार और दक्षिणी नगर दीवार के दक्षिण के करीब छोटे-छोटे टीले हैं, जिन्हें स्थानीय रूप से पेनाहिया झार और खराहुआ झार के रूप में जाना जाता है।
- नजदीकी रेलवे स्टेशन, बलरामपुर है और बलरामपुर रेलवे स्टेशन से स्मारक की सड़क मार्ग से दूरी लगभग 19 किमी. है।

- नजदीकी उभरता हवाईअड्डा श्रावस्ती हवाई अड्डा है, जो नगर से 23.3 किलोमीटर की दूरी पर है। नजदीकी प्रचलनरत हवाईअड्डा चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लखनऊ है। इस स्थान पर कुशीनगर एवं वाराणसी अन्तर्राष्ट्रीय हवाईअड्डों से भी आसानी से पहुंचा जा सकता है।



चित्र: टीले का गूगल भू-मानचित्र जिसे स्थानीय रूप से सहेत-महेत, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश के प्राचीन अवशेषों के पास बलरामपुर मार्ग में स्थित ओरा झार के रूप में जाना जाता है।

3.1 संस्मारक की संरक्षित सीमा:

केन्द्रीय संरक्षित स्मारक-टीले की संरक्षित सीमा, जिसे स्थानीय रूप से पेनाहिया झार, खराहुआ झार, ओरा झार के रूप में जाना जाता है, जो सहेत-महेत (श्रावस्ती), जिला-बलरामपुर, उत्तर प्रदेश के प्राचीन अवशेषों के पास बलरामपुर मार्ग पर स्थित है, को अनुलग्नक- I में देखा जा सकता है।

3.1.1 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) रिकार्ड (अभिलेखों) के अनुसार अधिसूचना मानचित्र/ योजना (प्लान):

टीलों, जिन्हें स्थानीय रूप से पेनाहिया झार, खराहुआ झार, ओरा झार के रूप में जाना जाता है, जो सहेत-महेत (श्रावस्ती), जिला - बलरामपुर, उत्तर प्रदेश के प्राचीन अवशेषों के पास बलरामपुर मार्ग पर स्थित हैं, की राजपत्र अधिसूचना को अनुलग्नक-II में देखा जा सकता है।

3.2 स्मारक का इतिहास:

श्रावस्ती शहर की बात करें, तो यह उन अभिज्ञात ऐतिहासिक स्थलों जिनमें, पेनाहिया झार, खराहुआ झार, ओरा झार और सहेत-महेत शामिल हैं, के अवशेषों को निरूपित करता है। शहर के सबसे पहले के संदर्भ, कोसल के शासन में एक समृद्ध नगर के रूप में रामायण और महाभारत में उपलब्ध हैं। पाणिनी ने अपने अष्टाध्यायी में कोसल का उल्लेख किया है, जबकि पाली बौद्ध साहित्य में भी कोसल के अपने इतिहास और समाज में कई उल्लेख हैं। पुराणों में इसका वर्णन उत्तरी कोसल की राजधानी के रूप में है। ऐसा कहा जाता है कि इसका यह नाम सूर्य वंश के यशस्वी राजा श्रावस्त से प्राप्त हुआ है जिसे नगरों की स्थापना करने का श्रेय है। प्राचीन समय में, इसे चन्द्रिकापुरी और चम्पकपुरी के नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा, अंगुत्तर निकाय में एक सोलहवे महा-जनपद के रूप में कोसला का उल्लेख हुआ है।

6वीं शताब्दी ईस्वी में, राजा प्रसेनजीत के शासन में, बुद्ध और महावीर के सहयोग से इस स्थान को ख्याति प्राप्त हुई और यह बौद्ध तीर्थ यात्रियों के आठ पवित्र स्थानों में से एक पवित्र स्थान बन गया। कहा जाता है कि बुद्ध ने अपने अनुयायी सुदत्त अनाथपिंडक द्वारा जेतवन में उसके लिए एक मठ बनाने के बाद यहां 24 वर्षा काल (वर्षावास) बिताए। ऐसा भी कहा जाता है कि अन्य क्षेत्रों से चुनौती का सामना करते समय बुद्ध ने यहां पर महान चमत्कार किए। डाकू अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन भी उस समय की प्रभावकारी घटनाओं में से एक था। कुछ सुविख्यात भिक्षुणी विशाखा, सुमन तथा अन्य इसी स्थान से आए थे।

श्रावस्ती, एक शक्तिशाली राज्य की राजधानी ही नहीं थी, बल्कि दार्शनिक चिन्तन का स्थान भी था, जहां पढ़ाई के कई स्कूल बुद्ध के आगमन से पहले से स्थापित थे। महावीर, जो चौबीसवें जैन तीर्थंकर थे, ने यहां अत्यधिक अनुयायियों को एकत्र किया तथा राजा प्रसेनजीत भी प्रारंभ में उन उपासकों में से एक था। ऐसा माना जाता है कि श्रावस्ती दो अन्य तीर्थंकरों- संभवनाथ और चंद्रप्रभ का जन्म स्थान भी रहा है। आजीविक गुरु गोसाल मक्खलीपुत, जो सरावना - शहर में एक बस्ती है, में पैदा हुआ था, उसके यहां बहुत प्रबल प्रशंसक थे।

कहा जाता है कि राजा अशोक ने भी इस स्थान की यात्रा की थी और जेतवन के पूर्वी द्वार पर दो स्तंभ स्थापित करवाये थे। इसके अलावा, उसने इसके पास में एक स्तूप भी बनवाया था। कुषाण काल में बौद्ध राजकीय समर्थन से लोकप्रिय धर्म बन गया था। इस स्थान का उल्लेख फाह्यान और ह्वेनसांग द्वारा अपनी यात्रा वृत्तान्त में भी किया गया था। ह्वेनसांग की यात्रा के बाद शताब्दियों में श्रावस्ती के

संबंध में विश्वसनीय जानकारी कम ही मौजूद है। जैमिनी भारत- एक मध्यवर्ती कार्य, में सुहरीध्वज नाम के राजा का उल्लेख किया है जिसने मुस्लिम हमलावरों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी और इन्हें जैन धर्म को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है। बाहरवीं शताब्दी के मध्य में, रानी कुमारा देवी ने यहां मठ स्थापित करने में सहयोग किया। श्रावस्ती का विनाश यादें बन कर रह गया था, जब तक कि 1863 में सर एलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा उन्हें प्रकाश में न लाया जाता और उनकी पहचान न की जाती।

ओराझार, जिला एवं तहसील, बलरामपुर, उ.प्र. में राप्ती नदी की एक सहायक नदी खजुआ, के बाएं किनारे पर स्थित है। इसकी प्रख्यात “पूर्वाराम अथवा पश्चिमी मठ से पहचान की जा सकती है, जिसे विशाखा ने बनवाया था, जैसा कि फाहियान द्वारा देखा गया। यहां, खुदाई में कुषाण काल से शुरु तीन स्तरीय सांस्कृतिक विन्यास (पहली शताब्दी ई.) का होना प्रतीत होता है। बाद में, गुप्त एवं मध्य काल का होना प्रतीत होता है। कुषाण काल में सामान्य योजना के मठ-विषयक परिसर के अवशेष प्रतीत होते हैं। गुप्त काल मंदिर की पीठिका के रूप में साक्ष्य हैं, जो दीवार से आवेष्टित हैं। मध्य काल गुप्त मंदिर के शीर्ष में एक तारे (स्टॉर) जैसी संरचना का होना प्रतीत होता है, ओरा झार और दक्षिणी नगर-दीवार के दक्षिण के पास दो छोटे-छोटे टीले हैं, जिन्हें स्थानीय रूप से पेनाहिया झार और खराहुआ झार के रूप में जाना जाता है, जहां काफी पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा खुदाई की गई थी। पहले के टीले में खुदाई व्यास में 16.20 मी. की ठोस ईंट की संरचना का पता चलता है। इसके गर्भ में धातु मंजूषा, हड्डियों के टुकड़े के कुछ स्वर्ण आभूषण, क्रिस्टल (बिल्लौर), चांदी के गोल और चांदी के आहत (पंच-मार्कड) सिक्के पाए गए थे। दूसरी संरचना भी वृत्ताकार थी, जिसका व्यास 31.50 मी. था, जो तीन - संकेदिक ईंट दीवार से बनी थी, बीच के स्थान को चिकनी मिट्टी से भरा गया था। इसके गर्भ में कोई धातु मंजूषा (केसकेट) नहीं पाया गया था।

3.3. स्मारकों का विवरण (वास्तुकला विशेषताएं, तत्व, सामग्री आदि):

ओरा झार, जिला - तहसील, बलरामपुर, यू.पी. में राप्ती की सहायक नदी खजुआ के बाएं किनारे पर स्थित है। यहां पर खुदाई में कुषाण काल (पहली शताब्दी ई.) से लेकर गुप्त (चौथी - सातवीं शताब्दी ई.) और मध्य काल (11वीं - 12वीं शताब्दी ई.) तक तीन स्तरीय सांस्कृतिक क्रम प्राप्त हुए।

कुषाण काल में सामान्य योजना के साथ मठ परिसर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। गुप्त काल मंदिर की पीठिका के रूप में देखा जा सकता है, जो दीवार से घिरा हुआ है। मध्य काल में गुप्त मंदिर के शीर्ष में तारे (स्टॉर) जैसी संरचना प्राप्त हुई।

ओरा झार के पास और दक्षिणी-नगर दीवार के दक्षिण में दो छोटे-छोटे टीले हैं, जिन्हें स्थानीय रूप से पेनाहिया झार और खराहुआ झार के रूप में जाना जाता है, जहां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा उत्खनन किया गया था।

पूर्व के टीलों में किये गये उत्खनन में 16.20 मी. व्यास की ठोस ईंट की संरचना का पता चलता है। इसके गर्भ में धातु मंजूषा, हड्डियों के टुकड़े, कुछ स्वर्ण पत्र, स्फटिक (बिल्लौर), चांदी के वृत्ताकार सिक्के

और चांदी के आहत (पंचमार्क) सिक्के पाए गए थे। दूसरी संरचना भी वृत्ताकार थी, जिसका व्यास 31.50 मी. थी, जो तीन -संकेदिक ईंट की दीवार से बनी थी, बीच के स्थान को चिकनी मिट्टी से भरा गया था। इसके गर्भ में कोई धातु मंजूषा नहीं प्राप्त हुई थी।

3.4 वर्तमान स्थिति:

3.4.1 स्मारकों की स्थिति-स्थिति/मूल्यांकन:

वर्तमान में यथा-उल्लिखित तीन संरचनाएं अच्छी स्थिति में हैं।

3.4.2 दैनिक रूप से आने वाले लोगों और कभी-कभार एकत्रित होने वाले आगंतुकों की संख्या:

इस स्मारक में टिकट की व्यवस्था नहीं है। प्रत्येक दिन लगभग 5-10 आगंतुक पेनाहिया द्वार और खराहुआ द्वार आते हैं जबकि लगभग 100-500 आगंतुक प्रत्येक दिन ओरा द्वार आते हैं। ओरा द्वार में स्थानीय लोगों के साथ-साथ श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत आदि से लोग आते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन इस संख्या में 1000 आगंतुकों की प्रत्येक दिन वृद्धि हो जाती है।

अध्याय IV

स्थानीय क्षेत्र विकास योजनोओं में विद्यमान क्षेत्रीकरण, यदि कोई है

4.0 विद्यमान क्षेत्रीकरण:

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने एक श्रावस्ती विनियमित क्षेत्र का प्रस्ताव किया है, जिसमें, अधिसूचना सं. 2640/XXXVII-3-84/119-एन.केवी.-78 लखनऊ, दिनांक 26 जुलाई, 1984 और 344/9-ए-3-98-199-एन.केवी./78, लखनऊ, दिनांक 15 दिसंबर, 1998, के तहत श्रावस्ती नगर और साथ के प्रत्येक गाँव (गंगापुर बांकी, धोधुलपुर, खरगुपुर, चाकर भण्डार, राजगढ़ गुलहरिया और कटरा) के तहत भूमि शामिल है। चूंकि, भूमि, जिस पर केन्द्रीय संरक्षित स्मारक मौजूद हैं, जो चाकर भण्डार गाँव के अधीन आते हैं, श्रावस्ती विनियमित क्षेत्र का मुख्य योजना (मास्टर प्लान) अर्थात् श्रावस्ती मुख्य योजना, 1991-2031, उस क्षेत्र पर लागू होगी, जिसमें केन्द्रीय संरक्षित स्मारक विद्यमान हैं। इसलिए श्रावस्ती मुख्य योजना, 1991-2031 में, कुछ पुराने ऐतिहासिक स्थल, बौद्ध ऐतिहासिक स्थल क्षेत्र (जोन) के तहत निर्दिष्ट हैं। परन्तु केन्द्रीय रूप से संरक्षित स्मारक के संबंध में राज्य सरकार के किसी अधिनियम और नियमों में विशेष रूप से क्षेत्रीकरण नहीं किया गया है।

4.1 स्थानीय निकायों के विद्यमान दिशानिर्देश:

इन्हें अनुलग्नक-III में देखा जा सकता है।

अध्याय V

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रिकार्ड में निर्धारित सीमाओं के आधार पर प्रतिषिद्ध एवं क्षेत्रों की विनियमितप्रथम अनुसूची नियम 21(1) टोटल स्टेशन सर्वेक्षण के अनुसार सूचना

5.0 टीलों, जिन्हें स्थानीय रूप से पेनाहिया झार, खराहुआ झार, ओरा झार के रूप में जाना जाता है, तथा जो सहेथ-महेथ (श्रावस्ती) जिला-बलरामपुर, उत्तर प्रदेश के प्राचीन अवशेषों के पास बलरामपुर सड़क मार्ग पर स्थित हैं, की रूपरेखा योजना:

इसे अनुलग्नक-IVमें देखा जा सकता है।

5.1 सर्वेक्षित आंकड़ों का विश्लेषण:

5.1.1 प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र का विवरण:

- स्मारकों का कुल संरक्षित क्षेत्र 14872.197 वर्ग मी. है।
- स्मारकों का कुल प्रतिषिद्ध क्षेत्र 152307.488 वर्ग मी. है।
- स्मारकों का कुल विनियमित क्षेत्र 468735.238 वर्ग मी. है।

मुख्य विशेषताएं:

- पेनाहिया झार की ऊंचाई जमीन से 110 सेमी. है।
- खराहुआ झार की ऊंचाई जमीन से 90 सेमी. है।
- ओरा झार में टीले की ऊंचाई जमीन से 49.50 मी. है और उत्तरी दिशा के सामने की संरचना की ऊंचाई 2.7 मी. है, जबकि पूर्व दिशा के सामने की संरचना की ऊंचाई 75 सेमी है।
- तीन स्मारक एक-दूसरे से कुछ किलोमीटर की दूरी पर हैं। पेनाहिया झार और खराहुआ झार विनियमित क्षेत्र में ओरा झार के उत्तरी दिशा में पड़ते हैं। खुली भूमि खराहुआ झार और ओरा झार की पश्चिम दिशा में पड़ती है। कृषि भूमि पेनाहिया झार और खराहुआ झार की उत्तर दिशा में पड़ता है। पेनाहिया झार के उत्तर-पूर्व में प्राथमिक स्कूल पड़ता है जबकि पेनाहिया झार और ओरा झार के पूर्व में भवनों के साथ वाट थाई चेतवन महाविहार मंदिर परिसर पड़ता है।

5.1.2 निर्मित क्षेत्र का विवरण:

प्रतिषिद्ध क्षेत्र:

- उत्तर: इस दिशा में सरकारी स्कूल विद्यमान है।
- दक्षिण: इस दिशा में निर्मित क्षेत्र विद्यमान नहीं है।
- पूर्व: इस दिशा में भवनों के साथ वाट थाई चेतवन महाविहार मंदिर परिसर विद्यमान है।
- पश्चिम: इस दिशा में निर्मित क्षेत्र विद्यमान नहीं है।

खराहुआ झार:

- उत्तर: इस दिशा में पम्प हाऊस विद्यमान है।
- दक्षिण: इस दिशा में निर्मित क्षेत्र विद्यमान नहीं है।
- पूर्व: इस दिशा में निर्मित क्षेत्र विद्यमान नहीं है।
- पश्चिम: इस दिशा में निर्मित क्षेत्र विद्यमान नहीं है।

ओरा झार:

- उत्तर: रक्षक कक्ष, तालाब और स्कूल इस दिशा में विद्यमान हैं।
- दक्षिण: इस दिशा में निर्मित क्षेत्र विद्यमान नहीं है।
- पूर्व: आवासीय घर इस दिशा में विद्यमान हैं।
- पश्चिम: निर्मित भवन इस दिशा में विद्यमान नहीं हैं।

विनियमित क्षेत्र:

- उत्तर: खराहुआ झार और ओरा झार में निर्मित भवन नहीं हैं जबकि जवाहर नवोदय विद्यालय और कर्मचारी कक्ष (स्टॉफ क्वार्टर), प्राथमिक स्कूल और छोटी-छोटी दुकानें पेनाहिया झार के उत्तरी दिशा में विद्यमान हैं।
- दक्षिण: इस दिशा में खराहुआ झार और ओराझार में निर्मित भवन नहीं हैं।
- पूर्व: वाट थाई चेतवन महाविहार मंदिर और इसके भवन, घर तथा छोटी-छोटी दूकानें पेनाहिया झार और खराहुआ झार की पूर्वी दिशा में विद्यमान हैं जबकि आवासीय भवन ओरा झार की पूर्वी दिशा में विद्यमान हैं।
- पश्चिम: पेनाहिया झार और खराहुआ झार की इस दिशा में दुर्गा मंदिर विद्यमान है, जबकि ओराझार की पश्चिमी दिशा में कोई निर्मित भवन विद्यमान नहीं है।

5.1.3 हरित/खुले स्थानों का विवरण:

- उत्तर: विनियमित क्षेत्र में जवाहर नवोदय विद्यालय परिसर और आम के बाग के भीतर खुला स्थान है और एक तालाब तथा खेती योग्य भूमि प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में विद्यमान है।
- दक्षिण: विनियमित क्षेत्र में एक तालाब पड़ता है जबकि खेती योग्य भूमि प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में पड़ती है।
- पूर्व: आम का बाग, तालाब और खुले स्थान थाई चेतवन महाविहार मंदिर परिसर में विनियमित क्षेत्र में विद्यमान हैं, जबकि खेती-योग्य भूमि इस दिशा में विद्यमान है।
- पश्चिम: आम का बाग और खेती-योग्य भूमि इस दिशा में विद्यमान है।

5.1.4 परिसंचरण के अंतर्निहित आवृत्त क्षेत्र-सड़क, पैदलपथ आदि:

इस स्थल पर सड़कें और पैदलपथ नहीं हैं।

5.1.5 भवनों की ऊँचाई (क्षेत्र-वार):

- पूर्व: अधिकतम ऊँचाई 15 मी. है।
- पश्चिम: अधिकतम ऊँचाई 18 मी. है।
- उत्तर: अधिकतम ऊँचाई 12 मी. है।
- दक्षिण: अधिकतम ऊँचाई 6 मी. है।

5.1.6 प्रतिषिद्ध/विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत राज्य संरक्षित स्मारक और स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध धरोहर भवन, यदि उपलब्ध हों:

तीन स्मारक/टीले, नामतः, ओरा झार, पेनाहिया झार और खराहुआ झार एक-दूसरे के विनियमित क्षेत्र में पड़ते हैं और कोई अन्य राज्य अथवा केन्द्रीय रूप से संरक्षित स्मारक उनके प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्षेत्र में नहीं पड़ते हैं।

5.1.7 सार्वजनिक सुविधाएं:

तीन स्मारकों में चारदीवारी और संकेत पट्टिकाएं हैं। एक हैण्ड पम्प को ओरा झार में पेय जल के लिए प्रयोग किया जाता है। ओरा झार में हवील चेयर की सुविधा उपलब्ध है।

5.1.8 स्मारक तक पहुंच:

स्मारक, नामतः ओरा झार तक राज्य राजमार्ग एसएच 26 द्वारा पहुंचा जा सकता है, जबकि पेनाहिया झार तक कच्ची सड़क से पहुंचा जा सकता है और खराहुआ झार तक पक्की सड़क से पहुंचा जा सकता है।

5.1.9 अवसंरचनात्मक सेवाएं (जल आपूर्ति, झंझावात जल निकासी, मलजल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पार्किंग आदि):

जल आपूर्ति, झंझावात-जल अपवाह तंत्र, जल-मल निकासी, आदि प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में उपलब्ध नहीं हैं। आगन्तुकों के लिए पार्किंग स्मारक के परिसरों के बाहर उपलब्ध है, जो भीड़ के समय अधिक घनी हो जाती है।

5.1.10 क्षेत्र का प्रस्तावित क्षेत्रीकरण:

इसमें केन्द्रीय संरक्षित स्मारक के लिए श्रावस्ती मुख्य योजना 1991-2031 में कोई विशेष नियम और खण्ड परिभाषित नहीं हैं। सामान्य नियम, प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र में किसी भी तरह के विकास और निर्माण कार्य पर लागू होंगे।

अध्याय VI

स्मारक की वास्तुकला, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व

6.0 वास्तुकला, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व:

स्मारक का अत्यधिक वास्तुकलात्मक महत्व है, क्योंकि ये स्तूप बौद्ध परम्परा को दर्शाते हैं और बलरामपुर में मठों के इतिहास को गौरवान्वित करते हैं। ये अत्यधिक प्राचीन स्तूप, बिहार और श्रावस्ती में कई मंदिर, इसे ऐतिहासिक महत्व प्रदान करते हुए श्रावस्ती के साथ बौद्ध धर्म से संबद्ध हैं। कई प्राचीन मूर्तियां और शिलालेख स्मारक के नजदीकी क्षेत्र से उत्खनन में प्राप्त हुये हैं, जो इसके पुरातात्विक महत्व को दर्शाते हुए इस स्थान से गौतम बुद्ध के इतिहास और संबंध का वर्णन करते हैं।

ओराझार, खजुआ, जो जिला एवं तहसील, बलरामपुर, उ.प्र. में राप्ती नदी की एक सहायक नदी है, के बाएं किनारे पर स्थित है। इसकी प्रख्यात "पूर्वारांम अथवा पूर्वी मठ से पहचान की जा सकती है, जिसे विशाखा ने बनवाया था, जैसा कि फाहियान द्वारा देखा गया था। यहां खुदाई में कुषाण काल से प्रारंभ तीन स्तरीय सांस्कृतिक क्रम (पहली शताब्दी ई.) का होना प्रतीत होता है, बाद में, गुप्त एवं मध्य काल का होना प्रतीत होता है। कुषाण काल में सामान्य प्लान योजना के मठ-विषयक परिसर के अवशेष प्रतीत होते हैं। गुप्त काल में मंदिर की पीठिका के साक्ष्य है जो दीवार से आवेष्टित हैं। मध्य काल में गुप्त मंदिर के शीर्ष में एक तारे (स्टार) जैसी संरचना का होना प्रतीत होता है, ओरा झार और दक्षिणी नगर-दीवार के दक्षिण के पास दो छोटे-छोटे टीले हैं, जिन्हें स्थानीय रूप से पनाहिया झार और खराहुआ झार के रूप में जाना जाता है, जहां काफी पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा उत्खनन किया गया था। पहले के टीले में, उत्खनन से व्यास में 16.20 मी. की ठोस ईंट की संरचना का पता चलता है। इसके गर्भ में अस्थि मंजूषा पात्र, हड्डी के टुकड़े, कुछ स्वर्ण पात्र, बिल्लौर, चांदी के वृत्ताकार सिक्के और चांदी के आहत सिक्के पाए गए थे। दूसरी संरचना भी वृत्ताकार थी, जिसका व्यास 31.50 मी. था, जो तीन -संकेद्रीक ईंट दीवार से बनी थी, बीच के स्थान को चिकनी मिट्टी से भरा गया था। इसके गर्भ में कोई धातु मंजूषा (रिलिक) केसकेट नहीं पाई गई थी।

6.1 स्मारक की संवेदनशीलता (उदाहरणार्थ, विकासात्मक दबाव, शहरीकरण जनसंख्या दबाव आदि):

स्मारक, बलरामपुर से 19 किमी. दूर है। यहां प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में न्यूनतम निर्माण है, जो स्मारक के उत्तरी और पूर्वी ओर भी है; जहां अधिकतम ऊंचाई विनियमित क्षेत्र में भू तल (ग्राउण्ड) +2 तक जाती है। अतः, स्मारक में विकासात्मक, शहरीकरण अथवा जनसंख्या दबाव नहीं है और इन सभी कारकों से सुरक्षित है।

6.2 संरक्षित स्मारक से अथवा क्षेत्र से दृश्यता और विनियमित क्षेत्र से दृश्यता:

स्मारक को प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में सभी दिशाओं से स्पष्ट देखा जा सकता है।

6.3 भूमि उपयोग की पहचान:

स्मारक के आस-पास भूमि का उपयोग छोटे-छोटे दुकानों के रूप में तथा कृषि, आवासीय संस्थानिक और वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए किया जाता है।

6.4 संरक्षित स्मारक के अतिरिक्त पुरातात्विक धरोहर अवशेष:

स्मारक के आस-पास की भूमि का अत्यधिक पुरातात्विक महत्व है। इस समय इस शहर के चारों ओर मिट्टी तथा ईंट का एक बड़ा परकोटा है। श्रावस्ती शहर के पास सहेत-

महेत में खुदाई के दौरान भी प्राचीन मूर्तियां और शिलालेख पाए गए थे। इन्हें अब मथुरा और लखनऊ स्थित संग्रहालयों में संग्रहीत किया गया है। वर्तमान समय में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, सम्बद्ध अनुसंधान पूरा करने के लिए स्थल का उत्खनन कर रहा है।

6.5 सांस्कृतिक परिदृश्य:

बौद्ध स्मारक सांस्कृतिक परिदृश्य के अभिन्न अंग हैं जो विशाल क्षेत्र में फैले हुए हैं। पेनाहिया झार और खराहुआ झार साधारण व्यवस्थित उद्यान हैं जो सभी जीवन्त वस्तुओं के लिए शान्ति, सदभाव, अच्छाई और सम्मान के बौद्ध सिद्धान्तों को चित्रित करते हैं। यह ऐसा उद्यान है जिसमें आराम से घूमने के लिए मार्ग है और मनोहर वृक्ष की छाया में आगन्तुकों के प्रायः बैठने और आराम करने का क्षेत्र है।

6.6 महत्वपूर्ण प्राकृतिक भूदृश्य जो सांस्कृतिक परिदृश्य का हिस्सा हैं और पर्यावरण प्रदूषण से स्मारक को संरक्षित करने में मदद करते हैं:

ओरा झार, पेनाहिया झार और खराहुआ झार का पवित्र उद्यान भगवान बुद्ध के जीवन में प्राकृतिक परिवेश के महत्व को दर्शाता है। इसकी भौतिक योजना को सिर्फ ऐतिहासिक, धार्मिक पहलुओं से नहीं देखना चाहिए बल्कि प्राकृतिक परिवेश की दृष्टि से भी देखना चाहिए। “उद्यान” अथवा “वन”, प्राकृतिक परिदृश्य सृजित करने के लिए क्षेत्र की जलवायु, जलविज्ञान तथा जीव-जन्तु एवं वनस्पति को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक संतुलन को भी बनाए रखते हैं, जो आगे सांस्कृतिक परिदृश्य का हिस्सा बनते हैं और पर्यावरण प्रदूषण से स्मारक को संरक्षित करने में भी मदद करते हैं।

6.7 खुले स्थान का उपयोग और निर्माण:

स्मारक के आसपास खुले स्थान को कृषि भूमि के रूप में प्रयोग किया जाता है।

6.8 पारम्परिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियां:

वर्तमान में कोई पारम्परिक, सांस्कृतिक अथवा ऐतिहासिक गतिविधियां नहीं होती हैं।

6.9 स्मारक से और विनियमित क्षेत्र से दृश्यमान क्षितिज:

इस तरह का कोई क्षितिज नहीं है जिसे स्मारक से और विनियमित क्षेत्र से देखा जा सकता हो।

6.10 पारम्परिक वास्तुकला:

स्मारक के आस-पास पारम्परिक वास्तुकला प्रचलन में नहीं है।

6.11 स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा यथा-उपलब्ध विकास योजना:

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने एक श्रावस्ती विनियमित क्षेत्र का प्रस्ताव किया है, जिसमें, अधिसूचना सं. 2640/XXXVII-3-84/119-एन.केवी.-78 लखनऊ, दिनांक 26 जुलाई, 1984 और 3448/9-ए-398-199 एनकेवी/78, लखनऊ दिनांक 15 दिसम्बर, 1998 के तहत श्रावस्ती नगर और साथ के छह गाँव (गंगापुर बांकी, धोधुलपुर, खरगुपुर, चकर भण्डार, राजगढ़ गुलहरिया और कटरा) के तहत भूमि शामिल है। चूंकि, भूमि, जिस पर, हमारे केन्द्रीय संरक्षित स्मारक विद्यमान हैं, जो चाकर भण्डार गाँव के अधीन आते हैं; श्रावस्ती विनियमित क्षेत्र की मुख्य योजना (मास्टर प्लान) को अनुलग्नक-V में देखा जा सकता है।

6.12 भवन से संबंधित मापदंड:

- (क) स्थल में निर्माण की ऊँचाई (जिसमें छत संरचना जैसे कि मस्ती, पैरापैट आदि शामिल हैं): स्मारक के विनियमित क्षेत्र में सभी भवनों की ऊँचाई 7.0 मी. तक सीमित होगी।
- (ख) तल क्षेत्र: तल क्षेत्र अनुपात (एफएआर) स्थानीय उप-विधियों के अनुसार होगा।
- (ग) उपयोग:स्थानीय भवन उप-विधियों के अनुसार, भूमि उपयोग में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- (घ) अग्रभाग की रचना: सामने की सड़क के किनारे या सीढ़ी वाले कूपक (शॉफ्ट) के साथ फ्रेंच दरवाजे और बड़े कांच के अग्रभाग की अनुमति नहीं होगी।
- (ङ) छत की रचना:
- क्षेत्र में केवल समतल छत रचना का पालन किया जाना चाहिए।
 - संरचनाएं, यहां तक कि अस्थायी सामग्री जैसे एल्यूमीनियम, फाइबर ग्लास, पॉली कार्बोनेट या इसी तरह की सामग्रियों का उपयोग भवन की छत पर करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
 - छत पर अवस्थित सभी सेवाओं जैसे बड़ी वातानुकूलन इकाइयों, पानी की टंकियों या बड़े जनरेटर को दीवारों के आवरण (ईट/सीमेंट, शीट आदि) का उपयोग कर ढँका (स्क्रीन आफ) जाएगा। इन सभी सेवाओं को अधिकतम अनुमेय ऊँचाई में शामिल किया जाना चाहिए।

(च) भवन निर्माण सामग्री: -

- सभी सड़कों के अग्रभागों के किनारे - किनारे सामग्री और रंग में समरूपता।
- आधुनिक सामग्री जैसे कि एल्यूमीनियम का आवरण, ग्लास ईट, और किसी भी अन्य सिंथेटिक टाइल या सामग्री को बाहरी परिष्करण के उपयोग हेतु अनुमति नहीं होगी।
- पारंपरिक सामग्री जैसे ईट और पत्थर का उपयोग किया जाना चाहिए।

(छ) रंग: - बाहरी दीवार का रंग स्मारकों के साथ मिलता-जुलता हल्के रंग का होना चाहिए।

6.13 आगंतुक सुविधाएं एवं साधन:

इस स्थान पर आगंतुकों हेतु साधन एवं सुख-सुविधाएं जैसे पहुंच सड़क, पैदल मार्ग, प्रदीपन, प्रकाश एवं ध्वनि प्रदर्शन, शौचालय, व्याख्या केन्द्र, कैफेटेरिया, पेयजल स्मारिका दुकान, दृश्य -श्रव्य केन्द्र, रैंप, वार्ड-फाई, ब्रेल सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।

अध्याय VII
स्थल विशिष्ट संस्तुतियां

7.1 स्थल विशिष्ट संस्तुतियां :

(क) इमारत के चारों ओर छोड़ा गया क्षेत्र (सैटबैक):

सामने के भवन का किनारा, मौजूदा सड़क की सीध में ही होना चाहिए। इमारत के चारों ओर छोड़ा गया क्षेत्र (सैटबैक) अथवा आंतरिक बरामदों या चबूतरों में न्यूनतम खाली स्थान की अपेक्षा को पूरा किया जाना चाहिए।

(ख) प्रक्षेपण (प्रोजेक्शंस)

सड़क के 'निर्बाध' रास्ते से आगे भूमि स्तर पर बाधा मुक्त पथ में किसी सीढ़ी या पीठिका (प्लिथ) की अनुमति नहीं दी जाएगी। सड़कों को मौजूदा भवन के किनारे की रेखा से 'निर्बाध' आयामों से जोड़ा जाएगा।

(ग) संकेतक (साइनेज)

- धरोहर क्षेत्र में साईनेज़ (सूचनापट्ट) के लिए एल.ई.डी. अथवा डिजिटल चिह्नों अथवा किसी अन्य अत्यधिक परावर्तक रासायनिक (सिंथेटिक) सामग्री का उपयोग नहीं किया जा सकता। बैनर लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती; किंतु विशेष आयोजनों/मेलों आदि के लिए इन्हें तीन से अधिक दिन तक नहीं लगाया जा सकता है। धरोहर क्षेत्र के भीतर पट विज्ञापन (होर्डिंग), पर्चे के रूप में कोई विज्ञापन अनुमत नहीं होगा।

- संकेतकों को इस तरह रखा जाना चाहिए कि वे किसी भी धरोहर संरचना या स्मारक को देखने में बाधा न आए और पैदल यात्री की ओर उनकी दिशा हो।
- स्मारक की परिधि में फेरीवालों और विक्रेताओं को खड़े होने की अनुमति नहीं दी जाए।

7.2 अन्य संस्तुतियां:

- व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है।
- विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार दिव्यांगजनों के लिए व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी।
- इस क्षेत्र को प्लास्टिक और पोलिथिन मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाएगा।
- सांस्कृतिक विरासत स्थलों और परिसीमाओं के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश <https://ndma.gov.in/images/guidelines/Guidelines-Cultural-Heritage.pdf> में देखे जा सकते हैं।

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY**

In exercise of the powers conferred by section 20 E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 read with Rule (22) of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-laws and Other Functions of the Competent Authority) Rule, 2011, the following draft Heritage Bye-laws for the Centrally Protected Monument Mounds locally known as Penahia Jhar, Kharahua Jhar, Ora Jhar, situated on the road from Balrampur near the ancient remains of Saheth-Maheth (Sravasti) District – Balrampur, Uttar Pradesh prepared by the Competent Authority, and are hereby published, as required by Rule 18, sub-rule (2) of the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, for inviting objections or suggestions from the public,

Objections or suggestions, if any, may be sent to the Member Secretary, National Monuments Authority (Ministry of Culture), 24 Tilak Marg, New Delhi or email at hbl-section@nma.gov.in within thirty days of publication of the notification,

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft bye-laws before the expiry of the period, so specified, shall be considered by the National Monuments Authority.

Draft Heritage Bye-Laws

CHAPTER I

PRELIMINARY

1.0 Short title, extent and commencements: -

- (i) These bye-laws may be called the National Monument Authority Heritage bye-laws 2020 of Centrally Protected Monument Mounds locally known as Penahia Jhar, Kharahua Jhar, Ora Jhar situated on the road from Balrampur near the ancient remains of Saheth-Maheth (Sravasti) District – Balrampur, Uttar Pradesh.
- (ii) They shall extend to the entire Prohibited and Regulated Area of the monuments.
- (iii) They shall come into force with effect from the date of their publication.

1.1 Definitions: -

- (1) In these bye-laws, unless the context otherwise requires, -

- (a) “ancient monument” means any structure, erection or monument, or any tumulus or place or interment, or any cave, rock sculpture, inscription or monolith, which is of historical, archaeological or artistic interest and which has been in existence for not less than one hundred years, and includes-
- (i) The remains of an ancient monument,
 - (ii) The site of an ancient monument,
 - (iii) Such portion of land adjoining the site of an ancient monument as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving such monument, and
 - (iv) The means of access to, and convenient inspection of an ancient monument,
- (b) “archaeological site and remains” means any area which contains or is reasonably believed to contain ruins or relics of historical or archaeological importance which have been in existence for not less than one hundred years, and includes-
- (i) Such portion of land adjoining the area as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving it, and
 - (ii) The means of access to, and convenient inspection of the area,
- (c) “Act” means the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958),
- (d) “archaeological officer” means and officer of the Department of Archaeology of the Government of India not lower in rank than Assistant Superintendent of Archaeology,
- (e) “Authority” means the National Monuments Authority constituted under Section 20 F of the Act,
- (f) “Competent Authority” means an officer not below the rank of Director of archaeology or Commissioner of archaeology of the Central or State Government or equivalent rank, specified, by notification in the Official Gazette, as the competent authority by the Central Government to perform functions under this Act:
Provided that the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify different competent authorities for the purpose of section 20C, 20D and 20E,
- (g) “construction” means any erection of a structure or a building, including any addition or extension thereto either vertically or horizontally, but does not include any re-construction, repair and renovation of an existing structure or building, or, construction, maintenance and cleansing of drains and drainage works and of public latrines, urinals and similar conveniences, or the construction and maintenance of works meant for providing supply or water for public, or, the

construction or maintenance, extension, management for supply and distribution of electricity to the public or provision for similar facilities for public,

- (h) “floor area ratio (FAR)” means the quotient obtained by dividing the total covered area (plinth area) on all floors by the area of the plot,
FAR = Total covered area of all floors divided by plot area,
 - (i) “Government” means The Government of India,
 - (j) “maintain”, with its grammatical variations and cognate expressions, includes the fencing, covering in, repairing, restoring and cleansing of protected monument, and the doing of any act which may be necessary for the purpose of preserving a protected monument or of securing convenient access thereto,
 - (k) “owner” includes-
 - (i) a joint owner invested with powers of management on behalf of himself and other joint owners and the successor-in-title of any such owner, and
 - (ii) any manager or trustee exercising powers of management and the successor-in-office of any such manager or trustee,
 - (l) “preservation” means maintaining the fabric of a place in its existing and retarding deterioration.
 - (m) “Prohibited Area” means any area specified or declared to be a Prohibited Area under section 20A,
 - (n) “Protected Area” means any archaeological site and remains which is declared to be of national importance by or under this Act,
 - (o) “protected monument” means any ancient monument which is declared to be of national importance by or under this Act,
 - (p) “Regulated Area” means any area specified or declared to be a Regulated Area under section 20B,
 - (q) “re-construction” means any erection of a structure or building to its pre-existing structure, having the same horizontal and vertical limits,
 - (r) “repair and renovation” means alterations to a pre-existing structure or building, but shall not include construction or re-construction,
- (2) The words and expressions used herein and not defined shall have the same meaning as assigned in the Act.

CHAPTER II

Background of the Ancient Monuments and Archaeological sites and remains (AMASR) Act, 1958

2.0 Background of the Act:-The Heritage Bye-Laws are intended to guide physical, social and economic interventions within 300m in all directions of the Centrally Protected Monuments. The 300m area has been divided into two parts (i) the **Prohibited Area**, the area beginning at the limit of the Protected Area or the Protected Monument and extending to a distance of one hundred m in all directions and (ii) the **Regulated Area**, the area beginning at the limit of the Prohibited Area and extending to a distance of two hundred m in all directions.

As per the provisions of the Act, no person shall undertake any construction or mining operation in the Protected Area and Prohibited Area while permission for repair and renovation of any building or structure, which existed in the Prohibited Area before 16 June, 1992, or which had been subsequently constructed with the approval of DG, ASI and, permission for construction, re-construction, repair or renovation of any building or structure in the Regulated Area, must be sought from the Competent Authority.

2.1 Provision of the Act related to Heritage Bye-laws:-The AMASR Act, 1958, Section 20E and Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-Laws and other function of the Competent Authority) Rules 2011, Rule 22, specifies framing of Heritage Bye-Laws for Centrally Protected Monuments. The Rule provides parameters for the preparation of Heritage Bye-Laws. The National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, Rule 18 specifies the process of approval of Heritage Bye-laws by the Authority.

2.2 Rights and Responsibilities of Applicant: - The AMASR Act, Section 20C, 1958, specifies details of application for repair and renovation in the Prohibited Area, or construction or re- construction or repair or renovation in the Regulated Area as described below:


- (a) Any person, who owns any building or structure, which existed in a Prohibited Area before 16th June, 1992, or, which had been subsequently constructed with the approval of the Director-General and desires to carry out any repair or renovation of such building or structure, may make an application to the Competent Authority for carrying out such repair and renovation as the case may be.
- (b) Any person, who owns or possesses any building or structure or land in any Regulated Area, and desires to carry out any construction or re-construction or repair or renovation of such building or structure on such land, as the case may be, make an application to the Competent Authority for carrying out construction or re-construction or repair or renovation as the case may be.
- (c) It is the responsibility of the applicant to submit all relevant information and abide by the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of the Authority and Conduct of Business) Rules, 2011.

CHAPTER III


Location and Setting of Centrally Protected Monument-Mounds locally known as Penahia Jhar, Kharahua Jhar and Ora Jhar situated on the road from Balrampur near the ancient remains of Saheth-Maheth (Sravasti), District-Balrampur, Uttar Pradesh

3.0 Location and Setting of the Monuments:

- The monuments are located at:
 - **PenahiaJhar:** Lat: 27°30'08.78" N; Long: 82°03'14.43"E.
 - **KharahuaJhar:** Lat: 27°30'07.14"N; Long: 82°03'05.74"E.
 - **OraJhar:** Lat: 27°30'00.67".N; Long: 82°03'08.02"E.
- The sites of the three monuments are located in the fertile Gangetic plains in the present-day district of the same name Sravasti that belongs to Devi Patan Division of Uttar Pradesh near Balrampur some 170 kms north-east of Lucknow.
- Earlier it was a part of Bahraich district but the latter was split due to administrative reasons.
- Sravasti, also known as Saheth-Maheth, hosts ancient stupas and viharas in close proximity. Ora Jhar, Panehia Jhar and Kharahua Jhar are the places where Gautam Buddha spent 24 rainy seasons in these famous monasteries.




Google Earth Map of Mound locally known as Penahia Jhar situated on the road from Balrampur near the ancient remains of Saheth-Maheth, Balrampur, Uttar Pradesh



Google Earth Map of Mound locally known as Karahua Jhar situated on the road from Balrampur near the ancient remains of Sahet-Maheth, Balrampur, Uttar Pradesh

- Ora Jhar is situated on the left bank of Khajua, a tributary of Rapti in district and tehsil Balrampur, U.P. Very near to Ora Jhar and south of southern city-wall there are two small mounds locally known as PenahiaJhar and KharahuaJhar.
- The nearest Railway Station is Balrampur and distance via road from Balrampur Railway Station to the monuments is 19 kms approx.
- The nearest upcoming Airport is Sravasti Airport which is 23.3 kilometers from the town. The nearest operational Airport is CCS International Airport, Lucknow. The place is also easily approached by Kushinagar and Varanasi Intertnational Airports.



Google Earth Map of Mound locally known as Ora Jhar situated on the road from Balrampur near the ancient remains of Sahet-Maheth, Balrampur, Uttar Pradesh

3.1 Protected boundary of the Monuments:

The protected boundary of the Centrally Protected Monument- Mounds locally known as PenahiaJhar, KharahuaJhar, Ora Jhar situated on the road from Balrampur near the ancient remains of Saheth-Maheth (Sravasti) District – Balrampur, Uttar Pradesh may be seen at **Annexure- I**.

3.1.1 Notification Map/ Plan as per ASI records:

The Gazette Notification of Mounds locally known as Penahia Jhar, Kharahua Jhar, and Ora Jhar situated on the road from Balrampur near the ancient remains of Saheth-Maheth (Sravasti) District – Balrampur, Uttar Pradesh may be seen at **Annexure-II**.

3.2 History of the Monuments:

Speaking about Sravasti city, it is represented by the remains of known historical sites including – PenahiaJhar, KharahuaJhar, Ora Jhar and Saheth- Maheth. The earliest references of the city are available in the Ramayana and the Mahabharata as a prosperous city in the kingdom of Kosala. Panini in his Astadhyayi makes a mention of Kosala while Pali Buddhist literature also makes numerous references to Kosalait's history and society. In the Puranas it is described as the capital of North Kosala. It is said to have derived its name from a legendary King Sravasta of Surya Vansh who is stated to have founded the city. In later times, it was also known as Chandrikapuri and Champakpuri. Further, the AnguttaraNikaya mentions Kosala as one of the sixteen Maha-Janapadas.

In the 6th century BCE, during the reign of King Prasenajit, the place rose to fame due to its association with Buddha and Mahavira and became one of the eight holy places of Buddhist pilgrimage. The Buddha is said to have spent 24 rainy seasons (Varsha Vaas) here, after his disciple SudattaAnathapindika built a monastery for him at Jetavana. Buddha is also said to have performed here Great Miracle when confronted with a challenge from other sects. Conversion of a robber Angulimala was also one of the stirring episodes of that period. Some of the well-known Bhikshunis hailed from this place including Visakha, Sumana and others.

Sravasti was not only the capital of a powerful kingdom but was also home of philosophical contemplations, where a number of schools of thought had already established themselves before the advent of Buddha. Mahavira, the twenty-fourth Jain Tirthankara, gathered here a great following and King Prasenjit was also initially one of his votaries. Sravasti is also believed to be the birth-place of two other Tirthankara – Sambhavanath and Chandra Prabha. Ajivika guru, Gosal Makhaliputra who was born at Saravana - a settlement in city, had ardent admirers here.

King Asoka is said to have visited the place and erected two pillars on the eastern gate of Jetavana. Besides, he also built a stupa in the vicinity. During the time of Kushans, the Buddhism became popular religion with royal support. The place was also mentioned by Faxian and Xuanzang in their travel accounts. Hardly any reliable information exists regarding Sravasti in the centuries following the visit of Xuanzang. Jaimini-Bharata - a medieval work, mentions a king named Suhridhvaja who is supposed to have fought against Muslim invaders and is credited to have revived Jainism. In the middle of twelfth century, Queen Kumara Devi contributed to establishment of monasteries here. The ruins of Sravasti remained forgotten until they were brought to light and identified by Sir Alexander Cunningham in 1863.

Orajhar is situated on the left bank of Khajua, a tributary of Rapti in district and tehsil Balrampur, U.P. It may be identified with the celebrated 'Purvarama' or Eastern Monastery, built by Vishakha as seen by Fa-hien. Here, excavation has revealed a three-fold cultural sequence, starting from Kushan period (1st cent. CE) followed by Gupta and medieval periods. The Kushan period has revealed remains of a monastic complex with the usual plan. The Gupta period is witnessed in form of a plinth of a temple which is enclosed by a wall. The medieval period revealed a star-like structure at the top of the Gupta temple. Very

near to Orajhar and south of southern city-wall, there are two small mounds locally know as Penahiajhar and Kharahuwanjhar, where excavations were conducted by the Archaeological Survey of India long back. In the former mound, the excavation revealed solid brick structure 16.20m in diameter. In its core was a relic-receptacle, yielding pieces of bone, some gold leaves, rock-crystal, circular laminae of silver and a punch-marked silver coin. The second structure was also circular, with a diameter of 31.50m, made of three concentric brick walls, the intervening spaces being filled with clay. It did not yield any relic-casket in its core.

3.3 Description of Monuments (architectural features, elements, materialsetc.):

Ora Jhar is situated on the left bank of Khajua a tributary of Rapti in District- Tehsil Balrampur, U.P. Hereexcavation has revealed a three-fold cultural sequence, starting from the Kushana period (1st cent. CE) followed by theGupta (4th-7th cent. CE) and mediaeval periods (11th-12th cent.CE).

The Kushana period has revealed remain sofamonastic complex with the usual plan. The Gupta period is witnessed in the form of a plinth of a temple which is enclosed by a wall. The medieval period revealed a star-like structure at the top of the Gupta temple.

Very near to Ora Jhar and south of southern city-wall, there are two small mounds locally known as PenahiaJhar and KharahuaJhar where excavations were conducted by the Archaeological Survey of India.

In the former mound, the excavation revealed solid brick structure 16.20m in diameter. In its core was a relic-receptacle, yielding pieces of bone, some gold leaves, rock-crystal, circular laminae of silver and a punch-marked silver coin. The second structure was also circular, with a diameter of 31.50m, made of three concentric brick walls, the intervening spaces being filled with clay. It did not yield any relic-casket in its core.

3.4 CURRENTSTATUS

3.4.1 Condition of Monuments- condition/assessment:

Presently three structures as referred to are in good condition.

3.4.2 Daily footfalls and occasional gathering/numbers:

It is a non-ticketed monument. Around 5-10 visitors visit Penahia Jhar and Kharahua Jhar per day while around 100-500 visitors visit Ora Jhar per day. Ora Jhar is visited by local as well as people from Sri Lanka, Nepal, Tibet etc. On Buddha Purnima the number increases upto 1000 visitors perday.

CHAPTER IV

Existing zoning, if any, in the local area development plans

4.0 Existing zoning:

Uttar Pradesh State Government has proposed a Sravasti Regulated Area, which includes the land under the Sravasti town and the adjoining six villages (Gangapur Banki, Ghoghulpur, Khargupur, Chakar Bhandar, Rajgarh Gulhariya and Katra), vide notification No. 2640/XXXVII-3-84/119-N.K.V.-78 Lucknow, Dated July 26, 1984 and 3448/9-A-3-98-199N.K.V./78 Lucknow, Dated December 15, 1998. Since, the land on which the Centrally Protected Monuments are present comes under the Chakar Bhandar village, the master plan of the Sravasti Regulated Area, i.e. Sravasti Mahayojana 1991- 2031 will be applicable for the region in which the Centrally Protected Monuments exist.

Therefore, in the Shravasti Mahayojana 1991- 2031, some old historical sites are marked under the Buddhist Historical site zone. But specifically for the Centrally Protected Monuments there is no zoning made in any of the state government Act and rules.

4.1 Existing Guidelines of the local bodies:

It may be seen at **Annexure- III**.

CHAPTER V

Information as per First Schedule, Rule 21(1)/ total station survey of the Prohibited and the Regulated Areas on the basis of boundaries defined in Archaeological Survey of India records.

5.0 Contour Plan of Mounds locally known as Penahia Jhar, Kharahua Jhar, Ora Jhar, situated on the road from Balrampur near the ancient remains of Saheth-Maheth (Sravasti) District – Balrampur, Uttar Pradesh:

It may be seen at **Annexure- IV**.

5.1 Analysis of surveyed data:

5.1.1 Prohibited Area and Regulated Area details:

- Total Protected Area of the monuments is 14872.197 sq.m
- Total Prohibited Area of the monuments is 152307.488 sq.m
- Total Regulated Area of the monuments is 468735.238 sq.m

Salient feature:

- The height of Penahia Jhar is 110cm from the ground.
- The height of Kharahua Jhar is 90cm from the ground.
- The height of mound in Ora Jhar is 49.50m from the ground and the height of structure facing north direction is 2.7m while the height of structure facing east direction is 75cm.
- The three monuments are few kilometers away from each other. Penahia Jhar and Kharahua Jhar lie in the north direction of Ora Jhar in Regulated Area. Open land lies in the west direction of Kharahua Jhar and Ora Jhar. Agricultural land lies in the north side of Penahia Jhar and Kharahua Jhar. In north east of Penahia Jhar lies primary school while in east of Penahia Jhar and Ora Jhar lies Wat Thai Chetavan Mahavihar temple campus with buildings.

5.1.2 Description of built-up area:**Prohibited Area:****Penahia Jhar**

- **North:** Government school is present in this direction.
- **South:** No built up is present in this direction.
- **East:** Wat Thai Chetavan Mahavihar temple campus with buildings is present in this direction.
- **West:** No built up is present in this direction.

Kharuhua Jhar

- **North:** Pump house is present in this direction.
- **South:** No built up is present in this direction.
- **East:** No built up is present in this direction.
- **West:** No built up is present in this direction.

Ora Jhar

- **North:** Guard room, pond and school are present in this direction.
- **South:** No built up is present in this direction.
- **East:** Residential buildings are present in this direction.
- **West:** No built up structures are present in this direction.

Regulated Area:

- **North:** No built up is there in Kharahua Jhar and Ora Jhar while Jawahar Navodaya Vidyalaya and staff quarters, a primary school and small shops are present in north direction of Penahai Jhar.
- **South:** No built-up is present in Kharahua Jhar and Ora Jhar in this direction.

- **East:** Wat Thai Chetavan Mahavihar Temple and its buildings, houses and small shops are present in east direction of Penahia Jhar and Kharahua Jhar while residential buildings are present in east direction of Ora Jhar.
- **West:** Durga Temple is present in this direction of Penahia Jhar and Kharahua Jhar while no built up is present in west direction of Ora Jhar.

5.1.3 Description of green/open spaces:

- **North:** Open space are present within the Jawahar Navodaya Vidyalaya Campus and Mango Orchards in Regulated Area and a pond and cultivable land is present in Prohibited and Regulated Area.
- **South:** A pond lies in the Regulated Area while cultivable land lies in the Prohibited and Regulated Areas.
- **East:** Mango Orchards, pond and open spaces are present in Thai Chetavan Mahavihar Temple Campus in Regulated Area while cultivatable land is present in this direction.
- **West:** Mango Orchards and cultivable land are present in this direction.

5.1.4 Area covered under circulation- roads, footpaths etc.:

No roads and footpaths exist in the site.

5.1.5 Heights of building (Zone wise):

- **East:** Maximum height is 15m.
- **West:** Maximum height is 18m.
- **North:** Maximum height is 12m.
- **South:** Maximum height is 6m.

5.1.6 State protected monuments and listed heritage buildings by local authorities if available within Prohibited /Regulated Area:

The three monument/ mounds namely Ora Jhar, Penahia Jhar and Kharahua Jhar lies in each-others Regulated Areas and no other state or Centrally Protected Monument lies in their Prohibited and Regulated Area.

5.1.7 Public amenities:

The three monuments have boundary wall and signages. One handpump is used for drinking water in Ora Jhar. Facility for wheel chair is available in Ora Jhar.

5.1.8 Access to the monuments:

The monument namely Ora Jhar is accessed by state highway SH26 while Penahia Jhar is accessed by *kutch*a road and Kharahua Jhar is accessed by *pukka* road.

5.1.9 Infrastructure services (water supply, storm water drainage, sewage, solid waste management, parking etc.):

Water supply, storm water drainage, sewage, etc. are not provided in Prohibited and Regulated Area. Parking is provided for the visitors outside the premises of the monument that becomes congested at the time of crowd.

5.1.10 Proposed zoning of the area:

There is no rule or clause defined in Shravasti Mahayojana 1991-2031 for Centrally Protected Monument.

CHAPTER VI

Architectural, historical and archaeological value of the monuments.

6.0 Architectural, historical and archaeological value:

The monuments have great architectural value as these stupas reflect the Buddhist tradition and boast of the history of the monasteries in Balrampur. These age-old stupas, Viharas and several temples in Sravasti establish Buddhist Association with Sravasti providing it with historical value. Many ancient idols and inscriptions are excavated from the area nearby the monuments which narrates the history and connection of Gautam Buddha with this place giving it archaeological value.

Orajhar is situated on the left bank of Khajua, a tributary of Rapti in district and tehsil Balrampur, U.P. It may be identified with the celebrated 'Purvarama' or Eastern Monastery, built by Vishakha as seen by Fa-hien. Here, excavation has revealed a three-fold cultural sequence, starting from Kushan period (1st cent. CE) followed by Gupta and medieval periods. The Kushan period has revealed remains of a monastic complex with the usual plan. The Gupta period is witnessed in form of a plinth of a temple which is enclosed by a wall. The medieval period revealed a star-like structure at the top of the Gupta temple. Very near to Orajhar and south of southern city-wall, there are two small mounds locally known as Penahiajhar and Kharahuwanjhar, where excavations were conducted by the Archaeological Survey of India long back. In the former mound, the excavation revealed solid brick structure 16.20m in diameter. In its core was a relic-receptacle, yielding pieces of bone, some gold leaves, rock-crystal, circular laminate of silver and a punch-marked silver coin. The second structure was also circular, with a diameter of 31.50m, made of three concentric brick walls, the intervening spaces being filled with clay. It did not yield any relic-casket in its core.

6.1 Sensitivity of the monuments (e.g. developmental pressure, urbanization, population pressure, etc.):

The monuments are at a distance of 19 km from Balrampur, there is minimum construction in Prohibited and Regulated Area that too in north and east side of the monument where the

maximum height goes to Ground+2 in Regulated Area. Hence, the monument has no developmental pressure, urbanization or population pressure and is safe from all these factors.

6.2 Visibility from the protected monument or area and visibility from Regulated Area:

The monument is clearly visible from all the directions in Prohibited and Regulated Area.

6.3 Land- use to be identified:

The land-use surrounding the monument is agricultural, residential, institutional and commercial in form of small shops.

6.4 Archaeological heritage remains other than protected monument:

The land neighboring the monument has high archaeological potential. Presently, a great rampart of earth and brick surrounds this city. During excavation in Sahet-Mahet near Shravasti City, many ancient idols and inscriptions were found. These are now kept in museums at Mathura and Lucknow. At present, the archaeological department of the Indian Government is excavating the site to perform allied research.

6.5 Cultural landscapes:

The Buddhist monuments are an integral part of cultural landscape which are scattered in vast area. Penahia Jhar and Kharahua Jhar are simple uncluttered garden that reflects Buddhist principles of peace, serenity, goodness and respect for all living things. It is a garden which includes path for wandering contemplatively and areas for visitors to sit and relax often under the shade of a graceful tree.

6.6 Significant natural landscapes that form part of cultural landscape and also helps in protecting monument from environmental pollution:

The sacred landscape of Ora Jhar, Penahia Jhar and Kharahua Jhar mirror the importance of the natural environment in the life of Lord Buddha. Its physical planning must take into account not only historical, religious aspects but also the natural environment. The garden or forest must retain a natural balance, considering the climate, hydrology and fauna and flora of the region to create a natural landscape which further forms a part of the cultural landscape and helps in protecting the monument from environmental pollution.

6.7 Usage of open space and constructions:

The open space surrounding the monument is used as agricultural land.

6.8 Traditional, historical and cultural activities:

No traditional, cultural or historical activities take place at present.

6.9 Skyline as visible from the monuments and from Regulated Areas:

The skyline from the monument is not formed as the majority of the area surrounding the monuments is vacant.

6.10 Traditional architecture:

No traditional architecture has been in prevalence around the monument.

6.11 Developmental plan as available by the local authorities:

Uttar Pradesh State Government has proposed a Sravasti Regulated Area, which includes the land under the Sravasti town and the adjoining six villages (Gangapur Banki, Ghoghulpur, Khargupur, Chakar Bhandar, Rajgarh Gulhariya and Katra), vide notification No. 2640/XXXVII-3-84/119-N.K.V.-78 Lucknow, Dated July 26, 1984 and 3448/9-A-3-98-199N.K.V./78 Lucknow, Dated December 15, 1998.

The area of the monuments comes under the Chakar Bhandar village; the master plan of the Sravasti Regulated Area can be seen at **Annexure-V**.

6.12 Building related parameters:

- (a) **Height of the construction on the site (including rooftop structures like mummy, parapet, etc):** The height of all buildings in the Regulated Area of the monument will be restricted to 7m (all inclusive).
- (b) **Floor area:** FAR will be as per local building bye-laws
- (c) **Usage:** As per local building bye-laws with no change in land-use.
- (d) **Façade design:** French doors and large glass façades along the front street or along staircase shafts will not be permitted.
- (e) **Roof design:**
 - Only flat roof design in the area is to be followed
 - Structures, even using temporary materials such as aluminium, fibre glass, polycarbonate or similar materials will not be permitted on the roof of the building.
 - All services such as large air conditioning units, water tanks or large generator sets placed on the roof to be screened off using screen walls (brick/cements sheets etc). All of these services must be included in the maximum permissible height.
- (f) **Building material:**
 - Consistency in materials and color along all street façades of the monument.
 - Modern materials such as aluminum cladding, glass bricks, and any other synthetic tiles or materials will not be permitted for exterior finishes.
 - Traditional materials such as brick and stone should be used.

- (g) **Colour:** The exterior colour must be of a neutral tone in harmony with the monuments.

6.13 Visitor facilities and amenities:

Visitor facilities and amenities such as approach road, pathways, illumination, light and sound show, toilets, interpretation centre, cafeteria, drinking water, souvenir shop, audio visual centre, ramp, Wi-Fi and Braille should be available at site.

CHAPTER VII

Site Specific Recommendations

7.1 Site Specific Recommendations:

a) Setbacks

- The front building edge shall strictly follow the existing street line. The minimum open space requirements need to be achieved with setbacks or internal courtyards and terraces.

b) Projections

- No steps and plinths shall be permitted into the right of way at ground level beyond the 'obstruction free' path of the street. The streets shall be provided with the 'obstruction free' path dimensions measuring from the present building edge line.

c) Signages

- LED or digital signs, plastic fiber glass or any other highly reflective synthetic material may not be used for signage in the heritage area. Banners may not be permitted, but for special events/fair etc. it may not be put up for more than three days. No advertisements in the form of hoardings, bills within the heritage zone will be permitted.
- Signages should be placed in such a way that they do not block the view of any heritage structure or monument and are oriented towards a pedestrian.
- Hawkers and vendors may not be allowed on the periphery of the monument.

7.2 Other recommendations:


- Extensive public awareness programme may be conducted.
- Provisions for differently able persons shall be provided as per prescribed standards.
- The area shall be declared as Plastic and Polythene free zone.
- National Disaster Management Guidelines for Cultural Heritage Sites and Precincts may be referred at <https://ndma.gov.in/images/guidelines/Guidelines-Cultural-Heritage.pdf>



अनुलग्नक
ANNEXURES

अनुलग्नक- I
ANNEXURE - I

टीलों, जिन्हें स्थानीय रूप में पेनाहिया झार, खराहुआ झार,
टीलों-जो सहेत ,ओरा झार के रूप में जाना जाता है ,खराहुआ झार ,जिन्हें स्थानीय रूप से पेनाहिया झार ,
(श्रावस्ती) महेत, जिला - बलरामपुर,उत्तर प्रदेश के प्राचीन अवशेषों के पास बलरामपुर मार्ग पर स्थित हैं ,की
संरक्षित सीमा

**Protected boundary of Mounds locally known as PenahiaJhar, KharahuaJhar, Ora Jhar
situated on the road from Balrampur near the ancient remains of Saheth-Maheth
(Sravasti) District – Balrampur, Uttar Pradesh**





भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार अधिसूचना- संरक्षित सीमाओं की परिभाषा
Notification map as per ASI records - definition of Protection Boundaries

27-12-1920

F-2

Erratum

Please read 159(a) for 160, 160 for 161 and subsequent serial numbers accordingly.

dated the Allahabad, the 27th December, 1920.

No. 1659/1133M.- In exercise of the powers conferred by Section 3, sub-section (3) of the Ancient Monuments Preservation Act, (VII of 1904), His Honour the Lieutenant-Governor is hereby pleased to confirm this department notification no. 1465M/1133, dated 25.11.1920, published at pages 1911-1924 of part I of the United Provinces Gazette, dated the 27th November, 1920, relating to the undermentioned monuments:-

Sl. No.	Name and description of monument	District.	Locality.
---------	----------------------------------	-----------	-----------

303	Mounds locally known as Panshia Jhar, Kharahua Jhar, Ora Jhar, situated on the road from Balrampur near the ancient remains of Saneth-Maheth (Sravasti).	Do.	Saneth-Maheth.
-----	--	-----	----------------

स्थानीय निकाय संबंधी दिशानिर्देश

- नये निर्माण, इमारत के चारों ओर छोड़ा गया क्षेत्र (सेट बैक) के लिए विनियमित क्षेत्र के साथ अनुमेय भूमि आवृत्त (ग्राउण्ड कवरेज), तल क्षेत्र अनुपात (एफएआर)/ तल स्थान अनुपात (एफएसआई) और ऊंचाई।

वर्तमान में राज्य सरकार के कुछ अधिनियम हैं, जिनमें धरोहर से संबंधित कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं हैं। तथापि, निर्माण के संबंध में सामान्य दिशानिर्देश विनिर्दिष्ट हैं। इन दिशा-निर्देशों का उल्लेख क्रमशः खण्ड 1.1.2 और 1.1.1 में “विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उप-विधि-2008” में “उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973”में किया गया है।

- विकास प्राधिकरण भवन निर्माण और विकास उप-विधि-2008 के अनुसार तल क्षेत्र अनुपात (एफएआर)/ तल स्थान अनुपात (एफएसआई) निम्नानुसार विनिर्दिष्ट हैं:

विनिर्देशन	भूखण्ड क्षेत्र (वर्ग मी.)	अग्रभाग क्षेत्र	पृष्ठभाग क्षेत्र	पक्ष 1 क्षेत्र	पक्ष 2 क्षेत्र	तल क्षेत्र अनुपात
पंक्तिवार गृह व्यवस्था	50 तक	1.0	-	-	-	2.00
	50 से 100	1.5	1.5	-	-	2.00
	100 से 150	2.0	2	-	-	1.75
	150 से 300	3.0	3	-	-	1.75
अर्ध असम्बद्ध	300 से 500	4.5	4.5	3	-	1.50
असम्बद्ध	500 से 1000	6.0	6	3	1.5	1.25
	1000 से 1500	9.0	6	4.5	3	1.25
	1500 से 2000	9.0	6	6	6	1.25

अन्य भूमि उपयोग हेतु भूमि आवृत्त (ग्राउण्ड कवरेज) एवं तल क्षेत्र अनुपात (एफएआर):

क्रम सं.	भूमि उपयोग	भूमि आवृत्त (ग्राउण्ड कवरेज) % में	तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर)
1.	आवासीय भूखण्ड		
	नया/अविकसित क्षेत्र		
	• 100 वर्ग मी. तक	65	2.00

क्रम सं.	भूमि उपयोग	भूमि आवृत्त (ग्राउण्ड कवरेज) % में	तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर)
	• 101-300 वर्ग मी.	60	1.75
	• 301-500 वर्ग मी.	55	1.50
	• 501-2000 वर्ग मी.	45	1.25
2.	वाणिज्यिक		
	नया/अविकसित क्षेत्र		
	• सुविधाजनक दुकान	50	1.50
	• प्रतिवेश/सेक्टर शॉपिंग सेंटर	40	1.75
	• जिला शॉपिंग सेंटर/ उप-केन्द्रीय व्यावसायिक जिला	35	2.00
	• केन्द्रीय व्यावसायिक जिला	30	5.00
3.	सरकारी		
	नया/अविकसित क्षेत्र		
	• सरकारी एवं अर्ध सरकारी	35	2.00
	• व्यावसायिक/वाणिज्यिक कार्यालय	30	2.50
4.	शैक्षणिक		
	नया/अविकसित क्षेत्र		
	• नर्सरी स्कूल	40	0.8
	• प्राथमिक	35	1.00
	• हाईस्कूल /इंटरमिडिएट	35	1.20
	• डिग्री कॉलेज	35	1.50
	• तकनीकी/प्रबंधन संस्थान	35	2.00
5.	सामुदायिक एवं संस्थानिक केन्द्र		
	नया/अविकसित क्षेत्र		
	• सामुदायिक हॉल, विवाह घर एवं धार्मिक भवन	40	1.50
	• अन्य संस्थान	30	2.00
6.	होटल		
	नया/अविकसित क्षेत्र		
	• 3 स्टार तक	40	1.50
	• 5 स्टार और उससे ऊपर	30	2.50
7.	अस्पताल		
	नया/अविकसित क्षेत्र		
	• क्लीनिक/डिस्पेंसरी	40	1.5
	• 50 बिस्तर का नर्सिंग होम	35	1.5
	• 50-100 बिस्तर का अस्पताल	30	2.0
	• 100 एवं अधिक बिस्तर का अस्पताल	30	2.5

- उक्त उप-विधि में पार्किंग का प्रावधान निम्नानुसार विनिर्दिष्ट है:

आवासीय यूनिट का निर्माण क्षेत्र	प्रत्येक आवासीय यूनिट के लिए कार पार्किंग
100 वर्ग मी. तक	1.00
100-150 वर्ग मी. तक	1.25
150 वर्ग मी. से अधिक	1.50

- सामान्य कार पार्किंग के लिए अपेक्षित परिसंचालन क्षेत्र।
 - खुले क्षेत्र में पार्किंग - 23 वर्ग मी.
 - आच्छादित पार्किंग - 28 वर्ग मी.
 - निम्न तल पार्किंग - 32 वर्ग मी.

2. स्थानीय निकायों के पास उपलब्ध धरोहर उप-नियम/विनियमन दिशानिर्देश, यदि कोई हों।

जैसा कि अध्याय-3, धारा 3.1.9 में उप-धारा (I) एवं (II), उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 में पहले से परिभाषित किया गया है, जिसका विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उप-विधि - 2016 के रूप में संशोधन किया गया है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा घोषित धरोहर अथवा स्मारक के प्रतिषिद्ध क्षेत्र में किसी प्रकार के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, विनियमित क्षेत्र में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम-1958 (2010 में संशोधित एवं वैधीकृत) के नियमों के अनुसार अनुमति प्रदान की जाएगी।

3. खुले स्थान

खुला स्थान क्षेत्र मानक का उत्तर प्रदेश विकास योजना-2008 और 2011 के अनुसार उल्लेख किया गया है।

- **आवासीय भूमि उपयोग:** 15 प्रतिशत विन्यास , बाल क्रीडांगन (टॉट-लॉट), पार्क और खेल के मैदान के रूप में खुले स्थान के रूप में योजना छोड़ी गई है।
- **गैर-आवासीय भूमि उपयोग:** अभिन्यास योजना का 10% हिस्सा बाल क्रीडांगन (टॉट-लॉट), पार्क और खेल के मैदान के रूप में खुली छोड़ी गई है।
- **परिदृश्य योजना:**
 - क. सड़क के एक पक्ष में 10 मी. की दूरी पर वृक्ष लगाए जाएंगे जब सड़क की चौड़ाई 9 मी. अथवा 12 मी. से कम हो।
 - ख. सड़क के दोनों ओर वृक्ष लगाए जाएंगे, जब सड़क की चौड़ाई 12 मी. से अधिक हो।
 - ग. विभाजक, पैदलपथ आदि के बाद बचे सड़क क्षेत्र को पेड़ लगाने के लिए प्रयोग किया जाएगा।

वाणिज्यिक योजना में 20 प्रतिशत खुले स्थान को हरियाली के लिए आरक्षित रखा जाएगा और 50 पेड़ प्रति हेक्टेयर लगाए जाएंगे

क्षेत्र, जैसे कि संस्थानिक क्षेत्र, सार्वजनिक सुख सुविधाएं, खेल के मैदान में 20 प्रतिशत खुला क्षेत्र हरियाली के लिए आरक्षित होता है, जहां 25 पेड़ प्रति हेक्टेयर लगाए जाते हैं।

टिप्पणी: उपरोक्त सभी खण्डों का उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के तहत (उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उप-विधि-2008) में उल्लेख किया गया है।

4. प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में आवाजाही - सड़क तल निर्धारण, पैदल पथ, प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्षेत्र में आवागमन- सड़क की ऊपरी सतह, पैदल यात्री मार्ग, गैर-मोटर चालित परिवहन आदि।

आवाजाही सार्वजनिक एवं व्यक्ति विशेष तरीके में होती है अर्थात् 2 पहिए वाहन, 3 पहिए वाहन, साइकिल, टेम्पो, कार, जीप, ऑटो, रिक्शा, 8 सीटर टेम्पो, 4 सीटर (छोटा) टेम्पो, वैन आदि और प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्षेत्र में ठेले के रूप में गैर-मोटरीकृत परिवहन चलता है। सार्वजनिक परिवहन में बसें शामिल हैं जो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटी) के नाम से चलती हैं। राज्य राजमार्ग एसएच-26, सीधे स्मारक से जुड़ता है जो इकौना गांव से बलरामपुर को जाता है।

5. शहरी सड़कों के आसपास के दृश्य, गलियां, अग्रभित्ति तथा नव निर्माण:

शहरी सड़क रचना में प्रतिषिद्ध और विनियोजित क्षेत्र में छोटी-छोटी दुकानों के रूप में संस्थानिक, आवासीय और वाणिज्यिक के साथ आधुनिक संरचनाएं शामिल हैं।

नये निर्माण

ग्रामीण विकास (आरडी) कार्यक्रम, जिनको बलरामपुर में क्रियान्वित किया जाना है, इस प्रकार हैं:

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम (मनरेगा)।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)।
- लोहिया ग्रामीण आवास योजना (एलजीएवाई)।
- राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी)।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)।
- अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना (एवीआरवाई)।
- विधायी क्षेत्र विकास निधि (एमएलए निधि)।
- सामुदायिक विकास (सीडी)।

प्रस्तावित कार्य का स्वरूप इस शर्त के साथ उपलब्ध होगा कि:

- इनसे मूलभूत सुविधाएं जैसे कि जल आपूर्ति, जल निकासी, जलमल निकासी, विद्युत आपूर्ति, खुले स्थान और यातायात, पार्किंग, आदि जो बड़े भूमि उपयोग योजना में विद्यमान हैं, प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
- अधिकतम तल क्षेत्र अनुपात (एफएआर) और ऊंचाई भूमि उपयोग योजना में यथा-उल्लिखित होगी। बुकिंग कार्यालय, गाइड कार्यालय, पर्यटन से संबंधित कार्यालय, दुकानें, रेस्टोरेंट, फोटोग्राफर, रेल/हवाई/टैक्सी आदि के साथ-साथ अन्य आवश्यक कार्य जैसे कि अस्थायी मेला/प्रदर्शनी आदि को प्रभावी भवन कार्यों के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

LOCAL BODIES GUIDELINES

1. Permissible Ground Coverage, FAR/FSI and Heights with the Regulated Area for new construction, SetBacks.

At present there are some Acts of the state Government wherein no specific provision are made pertaining to the heritage. However, general guidelines are specified for the construction. These guidelines are mentioned in the “**Uttar Pradesh municipal planning and development act-1973**” in the “**Development Authority Building Construction and Development sub method-2008**” under the clause 1.1.2 and 1.1.1 respectively.

- As per the Development Authority Building Construction and Development sub method-2008 FAR/FSI are specified as below:

Specification	Plot Area (Sq. m.)	Front Margin	Rear Margin	Side1 Margin	Side2 Margin	FAR
Row Housing	Up to 50	1.0	-	-	-	2.00
	50 to 100	1.5	1.5	-	-	2.00
	100 to 150	2.0	2	-	-	1.75
	150 to 300	3.0	3	-	-	1.75
Semi Detached	300 to 500	4.5	4.5	3	-	1.50
Detached	500 to 1000	6.0	6	3	1.5	1.25
	1000 to 1500	9.0	6	4.5	3	1.25
	1500 to 2000	9.0	6	6	6	1.25

- Ground coverage and FAR for other Land-use:**

S.no.	Land Use	Ground Coverage in %	F.A.R.
1.	Plotted residential		
	New /Undeveloped area		
	• Upto 100Sqm	65	2.00
	• 101-300Sqm	60	1.75
	• 301-500Sqm	55	1.50
	• 501-2000Sqm	45	1.25
2.	Commercial		
	New / undeveloped Area		
	• Convenientshop	50	1.50

	• Neighbourhood/ Sector shoppingcentre	40	1.75
	• District shopping centre/ Sub Central businessdistrict	35	2.00
	• Central Business District	30	5.00
3.	Official		
	New/Underdeveloped area		
	• Government & Semi government	35	2.00
	• Professional /Commercial office	30	2.50
4.	Educational		
	New / Undeveloped area		
	• Nursery school	40	0.8
	• Primary	35	1.00
	• High school / Intermediate	35	1.20
	• Degree college	35	1.50
	• Technical /Management institute	35	2.00
5.	Community and Institutional facilities		
	New / Underdeveloped area		
	• Community hall, marriage hall & Religious building	40	1.50
	• Other Institutes	30	2.00
6.	Hotel		
	New / Underdeveloped area		
	• Till 3 star	40	1.50
	• 5 star and above	30	2.50
7.	Hospital		
	New / Underdeveloped area		
	• Clinic/ Dispensary	40	1.5
	• 50 bedded Nursing home	35	1.5
	• 50-100 bedded Hospital	30	2.0
	• 100 & more bedded hospital	30	2.5

- In the said sub method the provision of parking has been specified as below:

Construction area of residential unit	Car Parking for each residential unit
Upto 100 Sqm.	1.00
100-150 Sqm.	1.25
Above 150 Sqm.	1.50

1. Circulation area required for common carparking.
 - Parking in open area – 23Sqm.
 - Covered parking – 28Sqm.
 - Parking in basemnt – 32 Sqm.

2. Heritage Bye-laws/ regulations/ guidelines if any available with local Bodies.

It has been defined under chapter-3 in section 3.1.9, sub section (I) & (II), Uttar Pradesh municipal planning and development act-1973 which is amended as Development authority building construction and development sub method-2016, that no permission will be given to any type of construction in Prohibited Area of ASI declared heritage or monument. Apart from this in Regulated Area the permission will be granted by ASI as per the rules of The Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains Act – 1958 (Amended and Validated in 2010).

3. Open spaces.

Open space area standard mentioned as per Uttar Pradesh Development Plan-2008 and 2011

- **Residential land-use:** 15 percent of layout plan is left as open space as Tot-Lot, park and playground.
- **Non-Residential land-use:** 10 percent of layout plan is left as open space as Tot-Lot, park and playground.
- **LandscapePlan:**
 - a. The trees will be planted at distance of 10m on one side along the road when the road width is 9m or less than 12m.
 - b. The trees will be planted on both side along the road when road width is more than 12m.
 - c. The area of the road left after divider, footpath etc. will be used to plant trees.

In commercial planning the 20 percent of open space will be reserved for greenery and 50 trees will be planted per hectare.

In the areas like institutional area, public amenities, playground, 20 percent of open area is reserved for greenery where 25 trees are planted per hectare

Notes: - All the above clauses are mentioned in (Uttar Pradesh Development Authority Building Construction and Development sub method-2008) under the Uttar Pradesh Municipal planning and Development Act -1973.

4. Mobility with the Prohibited and Regulated Area – Road Surfacing Pedestrian Ways, non – motorised Transport etc.

Mobility is catered by public and personalized modes i.e. 2 wheelers, 3 wheelers, bicycles, tempos, car, jeep, Auto, rickshaw, 8-seaters tempos, 4-seaters (Small) tempos van etc. and non-motorized transport as cart moves in Prohibited and Regulated Area. The public transport includes buses which run under the name of Uttar Pradesh State road transport corporation (UPSRTC). The state highway SH-26 directly connects to monument which runs from Ikauna village to Balrampur.

5. Streetscapes, Facades and new construction Streetscapes.

The streetscapes include the modern structures with institutional, residential and commercial in the form of small shops within the Prohibited and Regulated Area.

New Construction

Rural Development (RD) Programs that has to be followed in Balrampur are:


- Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA).
- National Rural Livelihood Mission (NRLM).
- Pradhan Mantri Awaas Yojana (Gramin).
- Lohiya Grameen Awaas Yojana (LGAY).
- National Rural Drinking Water Programme (NRDWP).
- Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY).
- Ambedkar Vishesh Rozgar Yojana (AVRY).
- Legislature Area Development Fund (MLAFUND).
- Community Development (CD)

The nature of the proposed action will be provided with the condition that:

- Basic amenities such as water supply, drainage, sewage, power supply, open spaces and traffic, parking, etc. present in major land-use plan should not be adversely affected.
- Maximum FAR and the height will be as mentioned in land-useplan. The booking office, guide office, office related to tourism, shops, restaurants, photographer, rail / air / taxi, etc. as well as other necessary functions such as temporary fair / exhibition site, etc. will be provided by the competent authority under the effective building duties.

टीलों के संबंध में सर्वेक्षण योजना, जिन्हें स्थानीय रूप में पेनाहिया झार, खराहुआ झार, ओरा झार ,के रूप में जाना जाता है- जिला (श्रावस्ती) महेत-जो सहेत , बलरामपुर ,टीलोंजिन्हें स्थानीय , (श्रावस्ती) महेत-जो सहेत ,ओरा झार के रूप में जाना जाता है ,खराहुआ झार ,रूप से पेनाहिया झार, जिला - बलरामपुर,उत्तर प्रदेश के प्राचीन अवशेषों के पास बलरामपुर मार्ग पर स्थित हैं ,

Survey plan for Mounds locally known as PenahiaJhar, KharahuaJhar, Ora Jhar, situated on the road from Balrampur near the ancient remains of Saheth-Maheth (Sravasti) District – Balrampur, Uttar Pradesh



स्मारक तथा स्मारक के आस-पास के क्षेत्र के चित्र

**IMAGES OF THE MONUMENT AND THE AREA SURROUNDING THE
MONUMENT**




चित्र 1, खराहुआ झार का दृश्य
Figure 1, View of Kharahua Jhar



चित्र 2, खराहुआ झार का दृश्य
Figure2, View of Kharahua Jhar



Figure 3, View of Ora Jhar.
चित्र 3, ओरा झार का दृश्य



चित्र 4, ओरा झार का दृश्य

Figure 4, View of Ora Jhar.



चित्र 5, ओरा झार का दृश्य

Figure 5, View of Ora Jhar.



चित्र 6, ओरा झार का दृश्य

Figure 6, View of Ora Jhar.



Figure 7, Views of Penahia Jhar.
चित्र 7, पेनहिया झार का दृश्य



चित्र 8, पेनहिया झार का दृश्य

Figure 8, Views of Penahia Jhar